न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, सांभर लेक

पीठासीन अधिकारी : श्री प्रभुदयाल शर्मा आर0ए0एस0
वाद सं0 402/16
निर्णय दिनांकः 21.05.2018

1. भवानीप्रसाद पारीक पुत्र ओमप्रकाश पारीक जाति पुरोहित नि0 ग्राम पोस्ट आकोदा तह0 फुलेरा जिला जयपुर राज0 — वादी

बनाम

1. ओमप्रकाश पुत्र श्री केसरलाल
2. प्रदीप पुत्र ओमप्रकाश
3. राजेश पुत्र ओमप्रकाश
4. लोकेश पुत्र ओमप्रकाश
5. वर्षा पुत्री ओमप्रकाश
6. रेखा पुत्री ओमप्रकाश
   समस्त जाति पुरोहित पारीक नि0 ग्राम आकोदा तह0 फुलेरा जिला जयपुर
7. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार तह0 फुलेरा मु0 सांभरलेक
8. उप पंजीयक महोदय सांभरलेक जिला जयपुर
9. शाखा प्रबन्धक बैंक ऑफ इंण्डिया शाखा फुलेरा जिला जयपुर राज0

प्रतिवादीगण

वाद बाबत घोषणा खातेदारी व स्थायी निषेधाज्ञा

निर्णय

संक्षेप में वाकयात इस प्रकार से हैं कि वादी व प्रतिवादी सं0 1 लगा0 6 एक ही परिवार के सदस्य है। आराजी कृषि भूमि हाल खं0नं0 516 रकबा 1 बीघा 4 विस्वा, खं0नं0 532 रकबा 1 बीघा 3 विस्वा, खं0नं0 985 रकबा 3 बीघा 15 विस्वा, खं0नं0 986 रकबा 3 विस्वा, खं0नं0 987 रकबा 1 बीघा 7 विस्वा, खं0नं0 988 रकबा 1 बीघा 18 विस्वा, खं0नं0 989 रकबा 2 बीघा 11 विस्वा, खखं0नं0 1045/1163 रकबा 2 बीघा 6 विस्वा, खं0नं0 1100 रकबा 2 बीघा 11 विस्वा, खं0नं0 1104 रकबा 1 बीघा 1 विस्वा, खं0नं0 1108 रकबा 1 बीघा 10 विस्वा, खं0नं0 1111 रकबा 4 बीघा 13 विस्वा किता 12 कुल रकबा 24 बीघा 2विस्वा व इसी प्रकार खं0नं0 976 रकबा 3 बीघा 10 विस्वा, खं0नं0 977 रकबा 1 बीघा 15 विस्वा, खं0नं0 980 रकबा 19 विस्वा, खं0नं0 981 रकबा 4 बीघा 9 विस्वा, खं0नं0 983 रकबा 5 बीघा 12 विस्वा किता 5 कुल रकबा 16 बीघा 5 विस्वा व इसी प्रकार खं0नं0 1110 रकबा 2 बीघा 10 विस्वा, खं0नं0 1112 रकबा 10 विस्वा कुल किता 2 कुल रकबा 3 बीघा व इसी प्रकार खं0नं0 1129 रकबा 2 बीघा 14 विस्वा, खं0नं0

उपखण्ड अधिकारी
सांभर

Scanned by CamScanner

1130 रकबा 2 बीघा 11 विस्वा, खं0नं0 1131 रकबा 4 बीघा 19 विस्वा, खं0नं0 1132 रकबा 6 बीघा 14 विस्वा, खं0नं0 1133 रकबा 5 विस्वा, खं0नं0 1134 रकबा 4 बीघा 7 विस्वा, खं0नं0 1135 रकबा 2 बीघा 13 विस्वा कुल किता 7 कुल रकबा 24 बीघा 3 विस्वा सम्पूर्ण आराजीयात किता 26 कुल रकबा 68 बीघा वाके ग्राम आकोदा प0ह0 आकोदा भू0अ0नि0क्षे0 फुलेरा जिला जयपुर राज0 में स्थित है। वाद पत्र के मद नं0 2 में वर्णित आराजीयात वादी के दादा श्री केसरलाल पुत्र रघुनाथ पुरोहित के नाम से दर्ज राजसव रिकोर्ड रही व वादी के दादा केसरलाल के स्वर्गवास के उपरान्त वादी के पिता प्रतिवादी सं0 1 के नाम से सम्पूर्ण आराजीयात में से 1/5 हिस्सा दर्ज राजस्व रिकोर्ड चला आ रहा है जिसे वाद में आगे चल कर विवादग्रस्त आराजी शब्द से इंगित किया जावेगा। वादी अपने दादा केसरलाल के नाम दर्ज विवादग्रस्त आराजीयात में बाई बर्थ राईट रखता है कानूनन वादी को अपने दादा केसरलाल के हिस्सें में से हिस्सें घोषणा करवानें का कानूनी अधिकार प्राप्त है कानूनी अधिकारों के तहत वादी निस्फ हिस्सा घोषित कराने का अधिकार विवादग्रस्त आराजी में रखता है प्रतिवादी सं0 1 ओमप्रकाश जो वादी व प्रतिवादी सं0 2 लगा0 6 के पिताजी है जो मदिरा सेवन के आदि है जिसके कारण उनका मानसिक सन्तुलन ठीक नहीं रहता है तथा वे पहलें भी मदिरा सेवन के नशे में दीगर आराजी का बेचान व हस्तान्तरण कर चुके है ओर अब विवादग्रस्त आराजी का बेचान करने हेतु आमादा है जिसका प्रतिवादी सं0 1 को कानूनन अधिकार प्राप्त नहीं है। विगत सप्ताह प्रतिवादी सं0 1 नशे में धुत था तब ग्राम के मौजिज आदमियों के समक्ष कह रहा था कि विवादग्रस्त आराजी का बेचान करूंगा और ऐसा कंरूगा। विवादग्रस्त आराजीयात की खातेदारी मेरे नाम से है जिसमें किसी का कोई अधिकार नहीं है एकमात्र मैं ही मालिक हूँ वादी ने प्रतिवादी सं0 1 से कहा कि विवादग्रस्त आराजी से अपने घर का खर्चा चलता है तथा अपने पास इसके अलावा अन्य कोई आमदनी नहीं है इसलिए विवादग्रस्त आराजी का बेचान नहीं करे, इस पर नक्शें में धुत प्रतिवादी सं0 1 ने वादी से कहा कि अभी तुम्हारी उम्र कम है तुम कुछ नहीं समझें हो, विवादग्रस्त आराजीयात का बेचान करूं या नहीं करूं, मेरी मर्जी, मुझे ज्यादा समझानें की कोशिश की तो घर से बाहर कर दूंगा इस पर वादी को अपने कानूनी अधिकारों की सुरक्षा की चिन्ता हुई जिससे वाद कारण पैदा हुआ व वाद मौजूदा पेश करना लाजिम आया जो बेनूल मियाद है।

उक्त वाद पेश होने पर दावा दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण को तलब किया गया। प्रतिवादी सं0 1 की ओर से वकील श्री तेजपाल प्रजापत ने वकालतनामा व जवाब दावा पेश किया गया। प्रतिवादी सं0 3 लगा0 5, 7 लगा0 9 बावजूद सूचना के अनुपस्थित रहने के कारण इनके विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल मे लायी जाती है। प्रतिवादी सं0 6 की ओर से वकील श्री लालचन्द कुमावत ने वकालतनामा पेश किया। प्रतिवादी सं0 2 स्वंय उपस्थित है।

खण्ड अधिकारी
साँभर ले...

Scanned by CamScanner

वकील वादी ने अपने वाद के समर्थन में प्रमाणित प्रति जमाबन्दी संवत् 2044 से 2047, 2048 से 2051, 2072 से 2075, नकल फोटो प्रति राशनकार्ड, नकल फोटो प्रति अंकतालिका पेश की है।

पत्रावली राजस्व लोक अदालत अभियान न्याय आपके द्वार 2018 अटल सेवा केन्द्र आकोदा में पेश हुयी। वादी उपस्थित है मजमेंआम में सुना गया व वादी ने वाद को डिक्री किये जाने का निवेदन किया जिस पर पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया अवलोकन करने के बाद वादी का वाद अन्तिम डिक्री क़िया जाना न्यायोचित समझता हूँ।

क्रियात्मक आदेश

अतः वादी का वाद बाबत घोषणा राजस्व लोक अदालत की भावना से इस आशय की डिक्री फरमायी जाती है कि खं0नं0 516 रकबा 1 बीघा 4 विस्वा, खं0नं0 532 रकबा 1 बीघा 3 विस्वा, खं0नं0 985 रकबा 3 बीघा 15 विस्वा, खं0नं0 986 रकबा 3 विस्वा, खं0नं0 987 रकबा 1 बीघा 7 विस्वा, खं0नं0 988 रकबा 1 बीघा 18 विस्वा, खं0नं0 989 रकबा 2 बीघा 11 विस्वा, ख्खं0नं0 1045/1163 रकबा 2 बीघा 6 विस्वा, खं0नं0 1100 रकबा 2 बीघा 11 विस्वा, खं0नं0 1104 रकबा 1 बीघा 1 विस्वा, खं0नं0 1108 रकबा 1 बीघा 10 विस्वा, खं0नं0 1111 रकबा 4 बीघा 13 विस्वा किता 12 कुल रकबा 24 बीघा 2विस्वा व इसी प्रकार खं0नं0 976 रकबा 3 बीघा 10 विस्वा, खं0नं0 977 रकबा 1 बीघा 15 विस्वा, खं0नं0 980 रकबा 19 विस्वा, खं0नं0 981 रकबा 4 बीघा 9 विस्वा, खं0नं0 983 रकबा 5 बीघा 12 विस्वा किता 5 कुल रकबा 16 बीघा 5 विस्वा व इसी प्रकार खं0नं0 1110 रकबा 2 बीघा 10 विस्वा, खं0नं0 1112 रकबा 10 विस्वा कुल किता 2 कुल रकबा 3 बीघा व इसी प्रकार खं0नं0 1129 रकबा 2 बीघा 14 विस्वा, खं0नं0 1130 रकबा 2 बीघा 11 विस्वा, खं0नं0 1131 रकबा 4 बीघा 19 विस्वा, खं0नं0 1132 रकबा 6 बीघा 14 विस्वा, खं0नं0 1133 रकबा 5 विस्वा, खं0नं0 1134 रकबा 4 बीघा 7 विस्वा, खं0नं0 1135 रकबा 2 बीघा 13 विस्वा कुल किता 7 कुल रकबा 24 बीघा 3 विस्वा सम्पूर्ण आराजीयात किता 26 कुल रकबा 68 बीघा वाकै ग्राम आकोदा प0ह0 आकोदा भू0अ0नि0क्षे0 फुलेरा जिला जयपुर राज0 में प्रतिवादी सं0 1 के दर्ज 1/5 हिस्सें में से प्रतिवादी सं0 1 को, प्रतिवादी सं0 1 की पत्नि को, प्रतिवादी सं0 1 के पुत्र व पुत्रीयों को 1/8–1/8 हिस्सें के खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। राजस्व रिकोर्ड में अमल दरामद हेतु तहसीलदार फुलेरा को लिखा जावें। निर्णय अनुसार डिक्री पर्चा तैयार कर शामिल किया जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो दर्ज नम्बर से कम हो।

आदेश आज दिनांक 21.05.2018 को खुले राजस्व लोक अदालत केम्प आकोदा मे टंकण कराया जाकर सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
सांभर लेक

उप खण्ड अधिकारी
सांभर लेक

Scanned by CamScanner

अन्तिम डिक्री मुकदमा

(आर्डर 20 रूल 6–7 जाप्ता दीवानी)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी सांभर लेक मुकाम सांभर लेक

बइजलास श्री प्रभुदयाल शर्मा, आर०ए०एस०

भवानीप्रसाद बनाम ओमप्रकाश

दावा बाबत घोषणा खातेदारी व स्थायी निषेधाज्ञा

मुकदमा नंबर 402/16

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू श्री पी०के० मीणा व हाजरी श्री तेजपाल प्रजापत मिनजानिब मुद्दई रूबरू पक्षकारान मिनजानिब मुद्दायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि वादी का वाद बाबत घोषणा राजस्व लोक अदालत की भावना से इस आशय की डिक्री फरमायी जाती है कि खं०नं० 516 रकबा 1 बीघा 4 विस्वा, खं०नं० 532 रकबा 1 बीघा 3 विस्वा, खं०नं० 985 रकबा 3 बीघा 15 विस्वा, खं०नं० 986 रकबा 3 विस्वा, खं०नं० 987 रकबा 1 बीघा 7 विस्वा, खं०नं० 988 रकबा 1 बीघा 18 विस्वा, खं०नं० 989 रकबा 2 बीघा 11 विस्वा, खख०नं० 1045/1163 रकबा 2 बीघा 6 विस्वा, खं०नं० 1100 रकबा 2 बीघा 11 विस्वा, खं०नं० 1104 रकबा 1 बीघा 1 विस्वा, खं०नं० 1108 रकबा 1 बीघा 10 विस्वा, खं०नं० 1111 रकबा 4 बीघा 13 विस्वा किता 12 कुल रकबा 24 बीघा 2विस्वा व इसी प्रकार खं०नं० 976 रकबा 3 बीघा 10 विस्वा, खं०नं० 977 रकबा 1 बीघा 15 विस्वा, खं०नं० 980 रकबा 19 विस्वा, खं०नं० 981 रकबा 4 बीघा 9 विस्वा, खं०नं० 983 रकबा 5 बीघा 12 विस्वा किता 5 कुल रकबा 16 बीघा 5 विस्वा व इसी प्रकार खं०नं० 1110 रकबा 2 बीघा 10 विस्वा, खं०नं० 1112 रकबा 10 विस्वा कुल किता 2 कुल रकबा 3 बीघा व इसी प्रकार खं०नं० 1129 रकबा 2 बीघा 14 विस्वा, खं०नं० 1130 रकबा 2 बीघा 11 विस्वा, खं०नं० 1131 रकबा 4 बीघा 19 विस्वा, खं०नं० 1132 रकबा 6 बीघा 14 विस्वा, खं०नं० 1133 रकबा 5 विस्वा, खं०नं० 1134 रकबा 4 बीघा 7 विस्वा, खं०नं० 1135 रकबा 2 बीघा 13 विस्वा कुल किता 7 कुल रकबा 24 बीघा 3 विस्वा सम्पूर्ण आराजीयात किता 26 कुल रकबा 68 बीघा वाके ग्राम आकोदा प०ह० आकोदा नू०अ०नि०क्षे० फुलेरा जिला जयपुर राज० में प्रतिवादी सं० 1 के दर्ज 1/5 हिस्सें में से प्रतिवादी सं० 1 को, प्रतिवादी सं० 1 की पत्नि को, प्रतिवादी सं० 1 के पुत्र व पुत्रीयों को 1/8–1/8 हिस्सें के खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। ....

.......निज .... मुबलिग.. बाबत्.................................. खर्चा इस मुकदमे के मय सूद बशरह.. फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख अदायगी तक..................................का अदा करे।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 21 माह 05 सन् 2018 को जारी की गई।

दस्तखत..............

उपखण्ड अधिकारी
सांभर लेक

मुहर

ओहदा

मुद्दई	रूपये	पैसे	मुद्दायलह	रूपये	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प अर्जी दावा		
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			महन्ताना वकील		
महन्ताना वकील			खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान			फीस कमीश्नर		
फीस कमीश्नर			बबत् इजराय हुक्मनामा		
मुतफरिक			मुतफरिक		
मीजान			मीजान		

नोट :– इस खर्चा के फार्म पर कुल खर्चा हर दो हरीकेत का चाहे डिगरी के जरिये दिखाया गया हो या नही दर्ज करना चाहिए।

Scanned by CamScanner